रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 1974/चैत्र 13, 1896

No. 80] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 1974/CHAITRA 13, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd April 1974

SUBJECT.—Import Policy for the year April 1974—March 1975

No. 48-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol I) for April 1974—March 1975— announced under Ministry of Commerce Public Notice No 44-ITC(PN)/74 dated the 2nd April, 1974.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1974—March 1975 :—

Page No of the Red Book (Vol I)	Reference	Details of amendments
213	Section V, Appendix 28, List I.	(1) *For* the existing description of item No. (28) — 'Vinyl chloride/Vinyl acetate monomer' *Read* 'Vinyl chloride'.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
		(2) The following remark shall be inserted against item No. (38) :— "Requirements of actual users in respect of this item will be met on restricted basis"
221	Section V, Appendix 28, List VIII.	The existing heading may be deemed to have been substituted by the following :— "List of items not covered by the entry appearing at S. No. 60 in List II of this Appendix".
222	Section V, Appendix 29, List I, item No. 14—Nitrocellulose chips.	This item and the remark against it may be deemed to have been deleted.
270	Section V, Appendix 41, para 12, line 10.	After the word 'concerned', the following words and figures may be deemed to have been added :— '(subject to a maximum of Rs. 1·0 lakh in the case of priority industries and Rs. 50,000 in the case of non-priority industries, for the half year April—September, 1974)."
279	Section V, Appendix 41, Schedule 'C', S. No 11, column 3.	(1) The following new remark may be deemed to have been inserted as remark No (iv) :— "(iv) For industries listed below, import of sheets of 0.71 mm to below 5 mm and plates 5 mm to 14 mm in all grades of stainless and heat resisting steel will be allowed only against NAC from the producer mentioned at S. No. 4 in Schedule 'F'. However, import of stainless steel sheets thinner than 0·71 mm and plates thicker than 14 mm will be allowed in respect of these industries without the production of NAC.— 1. Fertilizer manufacturing machinery. 2. Petro chemicals manufacturing machinery. 3. Chemical machinery. 4. Pharmaceutical machinery. 5. Dairy equipments. 6. Textile machinery. 7. Heavy electricals. 8. Atomic/Nuclear projects. 9. Integrated steel plants. For imports under sub-para (iv), essentiality for requirement of stainless steel sheets/plates will have to be certified by the concerned sponsoring authorities specifying quantity and value. The sponsoring authorities shall also ensure proper utilisation of the imported sheets/plates as certified by them." (2) The existing remark (iv) may be renumbered as (v) and the following sentence may be deemed to have been added at the end of the remark :— "Import of stainless steel sheets and strips will not be allowed for air conditioner industry also." (3) The existing remark (v) may be re-numbered as (vi).

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendment
297	Section V, Appendix 44	(1) Item No. (f)—"Raw optical glass" in List 'A' may be deemed to have been deleted. (2) Item No. (i)—"Stereo Eye pieces and objectives" in List 'B' may be deemed to have been deleted.
336	Section V, Appendix 68, para 10, line 4.	*For* the figure "Rs. 1,50,000" *Read* "Rs. 50,000".
356	Section V, Appendix 74, Part IV.	Below the S. No. 103/IV, the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :—

1	2	3
122	Nonflaky graphite (high purity micronised graphite 95—99.5 per cent) for manufacture of aluminium pistons, special grade pencil leads, lubricants, packing materials and gaskets, cinema carbons and carbon brushes.	10% or Rs. 5000 whichever is less.

370	Section V, Appendix 75.	*For* the existing heading "ANNEXURE TO APPENDIX 75", *Read* "APPENDIX 75(C)"

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1974

विषय:—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 48—आई०टी०सी० (पी०एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत घोषित अप्रैल, 1974 मार्च, 1975 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक खं० 1) में उचित स्थानों पर किए जाएं:—

रेड बुक (खं० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
213.	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 1	(1) मद संख्या (28) के वर्तमान विवरण— "वाइनिल क्लोराइड/वाइनिल एसीटेट मोनोमर" के लिए "वाइनिमल क्लोराइड" पढ़िए । (2) निम्नलिखित टिप्पणी मद संख्या (3) के बाद शामिल की जाएगी :— "इस मद के सम्बन्ध में वास्तविक उपयोक्ताओं की जरूरतों को पूर्ति प्रतिबन्धता के आधार पर की जाएगी ।"
221.	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 8	वर्तमान शीर्षक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— "इस अनुबन्ध की सूची 2 में क्रम संख्या 60 पर आई हुई प्रविष्टि में नहीं आने वाली सूची ।"
222.	खंड 5, परिशिष्ट 29, सूची 1, मद संख्या 14–नाइट्रोसेलूलोज चिप्स	इस मद को तथा इसके सामने की टिप्पणी को हटाया गया समझा जाए ।
279.	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'सी', क्रम सं० 11, कालम 3	(1) निम्नलिखित नई टिप्पणी को टिप्पणी सं० (4) के रूप में जोड़ा गया समझा जाए:— "(4) नीचे सूचीबद्ध उद्योगों के लिए जंगारोधी इस्पात और ताप प्रतिरोधक इस्पात के सभी वर्गों में 0.71 एमएम से 5 एमएम से कम तक शीटस और 5 एमएम से 14 एमएम तक प्लेटों के आयात की स्वीकृति केवल अनुसूची "एफ" की क्रम संख्या 4 पर संकेतित उत्पादक द्वारा अनुपलब्धता प्रमाणपत्र के मद्दे ही दी जाएगी । लेकिन इन उद्योगों के संबंध में 0.71 एमएम से पतली जंगारोधी इस्पात शीट्स तथा 14 एमएम

1	2	3
270.	खंड 5, परिशिष्ट 41, कंडिका 12, पंक्ति 10	शब्द "संबंधित" के बाद निम्नलिखित शब्दों और आंकड़ों को जोड़ा गया समझा जाए:— "(अप्रैल–सितम्बर, 1974 के अर्द्ध

1	2	3
	वार्षिक के लिए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में अधिकतम 1.0 लाख रूपये और गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में 50,000 रुपये के अधीन)।"	में मोटी प्लेटों के आयात की स्वीकृति बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किए ही दी जाएगी:— 1. रासायनिक खाद्य विनिर्माण मशीनरी 2. तेल-रासायन विनिर्माण मशीनरी 3. रासायन मशीनरी 4. भेषज निर्माण मशीनरी 5. डेरी उपकरण 6. सूती वस्त्र निर्माण मशीनरी 7. भारी विद्युतीय सामान 8. परमाणु/नाभीकीय परियोजनाएं 9. संकलित इस्पात संयंत्र उप-कंडिका (4) के अन्तर्गत आयातों के लिए जंगावरोधी इस्पात शीट्स/प्लेट्स की आवश्यकता के लिए अनिवार्यता प्रमाणन सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा मात्रा और मूल्य को दर्शाते हुए कराना होगा। प्रायोजक प्राधिकारी प्रमाणीकृत आयातित शीट्स/प्लेटों के उचित उपयोगीकरण का भी सुनिश्चय करेंगे।"
		(2) वर्तमान टिप्पणी (4) को (5) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए और टिप्पणी के अन्त में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा गया समझा जाए:— "जंगावरोधी इस्पात शीट्स और स्ट्रिप्स का आयात केवल वातानुकूलन उद्योग के लिए ही स्वीकृत होगा।"
		(3) वर्तमान टिप्पणी (5) को (6) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाए।
297. खंड 5, परिशिष्ठ 44		(1) मद संख्या (एफ)—सूची 'ए' में 'रा आर्टिकल ग्लास को हटाया गया समझा जाए।
		(2) मद संख्या 1—सूची 'बी' में "स्टेरियो आई पिसेज तथा आब्जेक्टिव्स" को हटाया गया समझा जाए।

1	2	3
336.	खंड 5, परिशिष्ट 68, कंडिका 10, पंक्ति 4	आंकड़े "1,50,000 रुपये" **के लिए** "50,000 रुपये" **पढ़ें** ।
356.	खंड 5, परिशिष्ट 74, भाग 4	क्रम संख्या 103/4 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियों को तत्सम्बन्धी कालमों के अन्तर्गत शामिल किया गया समझा जाए:—

1	2	3
122.	एल्यूमीनियम पिस्टन, विशेष श्रेणी की पेंसिल लीड, स्नेहक, पैकिंग सामग्री और गास्केट, सिनेमा कार्बन तथा कार्बन ब्रुश के विनिर्माण के लिए नन्पलैंकी ग्रैफाइट (उच्च शुद्धता वाले माइक्रोनाइज्ड ग्रैफाइट 95–99.5 प्रतिशत)	10 प्रतिशत या 5,000 रुपये इन में जो भी कम हो ।

370.	खंड 5, परिशिष्ट 75	वर्तमान शीर्षक "परिशिष्ट 75 के लिए अनुबन्ध" **के लिए** "परिशिष्ट 75 (सी)" **पढ़ें** ।

एस० जी० बोम मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974